मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल–462004

भोपाल दिनांक 26/12/09

क्र0 एफ 27– 83/2009/बीस–2

प्रति,

आयुक्त,
राज्य शिक्षा केन्द्र,
म0प्र0 भोपाल,

विषयः-- शिक्षक प्रोत्साहन योजना ।

—0—

राज्य शासन, एतद् द्वारा, स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक 07/09/09 में लिए गये निर्णयानुसार शिक्षा को समुदाय की सर्वोच्च प्राथमिकता में लाने, सहभागिता को बढ़ाने तथा ग्राम के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करने की योजना को कक्षा 6 से 12 तक लागू करने हेतु शासकीय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम का वर्ष 2010–11 से क्रियान्वयन करने तथा योजना के प्रारंभिक वर्ष में राशि रूपये 5.00 करोड़ तथा इस पंचवर्षीय योजना में 10.00 करोड़ के व्यय की स्वीकृति प्रदान करता है ।

यह योजना सामान्य विद्यालयों में 80% तथा उत्कृष्ट विद्यालयों में 90% प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संस्थाओं में ही लागू होगी । उक्त योजना के अन्तर्गत कक्षा 10 वीं एवम 12 वीं लिए क्रमशः राशि रूपये 4000/– एवम 5000/– की प्रोत्साहन राशि शिक्षकों को देय होगी ।

योजना का क्रियान्वयन आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा किया जायेगा ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के सी आर क्र0 124/बी– 3/चार, दिनांक 16/11/09 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
24/12/09
(एस0एस0 शर्मा)
उप सचिव
म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 27–83/2009/20–2 भोपाल दिनांक 26/12/09
प्रतिलिपि :--
1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/ राज्य मंत्रीजी, म0प्र0शासन स्कूल शिक्षा विभाग

2. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म०प्र० भोपाल
4. सदस्य सचिव, राज्य योजना मंडल, भोपाल
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अवर सचिव
म०प्र० शासन स्कूल शिक्षा विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक/विद्या/शिक्षक प्रोत्साहन/2010–11/199 भोपाल, दिनांक 27.08.2010
प्रतिलिपि :–

1. समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग म.प्र.।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।

की ओर पृष्ठांकन कर निर्देशित किया जाता है कि स्थाई वित्त समिति के अनुमोदन दिनांक 9.6.2010 के अनुसार "शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्तर" पर किसी शिक्षक की पढाई हुई कक्षा में से प्रत्येक उस विषय की कक्षा के लिए जिसमें न्यूनतम 10 बच्चे हो सामान्य विद्यालय में कम से कम 80 प्रतिशत तथा उत्कृष्ट विद्यालयों में कम से कम 90 प्रतिशत बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे तो शिक्षकों को उपरोक्तानुसार प्रोत्साहन राशि देय होगी। यह योजना अतिथि शिक्षकों पर लागू नहीं होगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाई सुनिश्चित की जाये ।

27/8
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश